कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 1273 /12-1:दिनांक देहरादून, 03/01/ ~~दिसम्बर~~, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155257/2022)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र–सं0 8वी/यू0सी0 पी0/06/ 35/2023/एफ0सी0/40 दिनांक 20.04.2023 के द्वार विषयांकित प्रकरण में 06 बिदुओं पर आपत्ति लगा गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार हैः–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The village Joshigaon is shown in the village wise breakup at para B 2.3 but the location of village is not shown in the KML. Neither the name of this village has been mentioned in the list of beneficiary villages uploaded as an additional document in online Part-I. State Govt is requested to submit clarification in the regard.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि ग्राम जोशीगॉव पूर्व से ही मण्डलसेरा बाईपास मोटर मार्ग से लाभान्वित होने के कारण, उक्त ग्राम को के0एम0एल0 में नहीं दर्शाया गया था, तथा लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम को नहीं दिखाया गया है। जिसे के0एम0एल0 मे दर्शया कर पुनः ऑनलाईन कर दिया गया है।.
2	This is evident from the KML that village Falyati is already connected with the existing road and the connectivity of village Kaliyabagar and Goginapani can be worked out from this road. Hence, the concerned DFO is requested to visit the area and explore the possibility to realign the proposed road from the road connecting the village Falyati and then connecting the villages Goginapani and Kaliyabagar with a view of reducing the requirement of forest land and the number of trees affected..	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि site inspection report attached. (संलग्न–1)
3	Further, alternate alignment may also be worked out by connecting Kaliyabagar and Goginapani Villages with the Bageshwar- Munshyari highway. The State Govt. is also requested to provide the distance of these two villages from the highway.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी ग्रामों को पूर्व में बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उक्त संरेखण से कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी के ग्रामीणों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से उक्त ग्राम वासियों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी लम्बा रास्ता तय करना पड रहा था, जिला मुख्यालय के साथ–साथ उक्त ग्रामीणों का निकटतम बाजार, अस्पताल, इण्टर कालेज आदि बागेश्वर ही होने के कारण वर्तमान संरेखण से काफी नजदीग हैं जिन्हें आने जाने में समय की बचत होगी एवं इलाज हेतु रोगियों तथा असहाय लोगों को अस्पताल एवं जिला मुख्यालय लाने में सहुलियत होगी। वर्तमान संरेखण के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प कलियाबगड एवं गोगिनापानी के ग्रामीणों को जोडे जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग के कलियाबगड की पैदल दूरी लगभग 5 से 6 किमी0 एवं गोगिनापानी की पैदल दूरी लगभग 8 से 10 किमी0 आती है, जो सीधे खडी चौडाई में है। (संलग्न–2)

	The muck dumping sites are not located on KML file. it is requested to mark the location of the Muck Dumping sites on the KML file and submit a separate tree enumeration list for the muck dumping sites	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि मक डिपिंग स्थल को के0एम0एल0 फाइल में दर्शा दिया गया है। दिनांक 03.06.2023 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतावित मक डिस्पोजल स्थल का समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निकरीक्षण के दौरान चयनित मक डिस्पोजल स्थलों पर काई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संशोधित प्रस्ताव (2.3) प्रपत्र–6 में संलग्न–3
5	The tree enumeration has been carried out in a width of 9 m, however in such case the enumeration is expected to be carried out within of width of 7m. the state Govt is requested to submit the enumeration list of trees in the 7m road width	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगतनीय है कि उक्त प्रस्ताव में 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर वृक्ष सूची संलग्न है। **(संलग्न 4 एवं 4–क)**
6	Out of the area proposed for CA, 2ha area is found to be MDF in DSS analysis therefore the concerned DFO is requested to visit the site and ensure that the area proposed for raising CA is suitable for planting tree @ 1000 trees per hectare. If required, the area may be replaced with some other suitable area.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि On site inspection of 2 hectare MDF area, it was found that 1000 plants per hectare can be planted in the said area.(report attached.)–संलग्न–5

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / 12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।